AGREEMENT ON TRADE AND SAFETY OF FEED AND FEED INGREDIENTS

BETWEEN

THE EXPORT INSPECTION COUNCIL OF INDIA, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, GOVERNMENT OF INDIA

AND

THE GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND QUARANTINE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Export Inspection Council of India, Ministry of Commerce and Industry, Government of India (hereinafter referred to as EIC) and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (hereinafter referred to as AQSIQ) have resolved to sign an Agreement as per details given below:

The EIC is an official inspection and certification body for various commodities notified under the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963. It operates through its field organisations viz. Export Inspection Agencies (EIAs), headquartered at Mumbai, Kolkata, Kochi, Delhi and Chennai with a network of 29 sub-offices backed by state-of-the-art laboratories. The EIC is the Competent Authority for handling export of feed and feed ingredients to the People's Republic of China.

The AQSIQ is a governmental agency under the direct leadership of the State Council of China and is in charge of quality and supervision, metrology, import and export commodity inspection and quarantine, certification and accreditation, and standardization. AQSIQ is also a law enforcement body and the inspection and quarantine authority on imported and exported commodities.

The above referred two parties would, hereinafter, be jointly referred to as 'Both Parties'.

Article 1

Aims

This Agreement aims at strengthening the mutual cooperation in trade and safety of feed and feed ingredients, and to meet the regulatory requirements with respect to safety & hygiene and plant quarantine requirements with respect to the feed and feed ingredients and to address the issue of growing trade deficit between the two countries. The Agreement is to establish a working mechanism which will strengthen co-operation between both parties, form an effective mechanism of communication, negotiations and settlement, protect the public health of the two countries and to develop and promote fair trade in mutually beneficial manner between China and India.

Feed and feed ingredients be inspected as per the following:

a) Feed and feed ingredients to be exported shall meet the requirements of the importing country.

b) The shipment of any feed and feed ingredients from each party shall be accompanied by Certificate of Export issued by the Competent Authorities and the Certificate shall be negotiated and reached by consensus by both parties.

c) Each party shall accept the shipments accompanied by the Certificate of Export duly signed and stamped by Competent Authority of the other party.

d) From time to time, AQSIQ and EIC, may undertake field assessment of the supervision system of each other. These assessments will be conducted according to the applicable regulations of both Parties.

Article 2

Obligations

Each party will recognize the other party as Competent Authority (CA) to issue Certificate of Export and conducting the verification as per the legal requirements of both parties. Both parties will inform each other the relevant laws and regulations covering inspection of feed and feed ingredients and of any changes in these laws and rules.

Article 3

Communication

Both parties shall promptly communicate with each other on any changes in the inspection technique of feed and feed ingredients.

Both parties will co-operate and communicate to the fullest practicable extent, their requirements as well as any changes in their

requirements that may be relevant to the other party and have an effect on the operation of this arrangement. This will include, but not be limited to legislation, policies, procedures and guidelines concerning enforcement and inspection.

Both parties shall develop regular channel of information exchange so as to inform each other of any new requirement under relevant laws and regulations as well as the introduction of any new measure on supervision and quality control.

Both parties will develop system for the verification of the Export Certificates and respond to queries.

Article 4

Dispute settlement

Any dispute or claim, arising out of this Agreement, EIC and AQSIQ, both being Government Agencies, shall be dealt with consultations and negotiations so as to ensure a mutually acceptable and effective resolution of the problem.

This agreement will not prejudice commitments and responsibilities of each party in other international treaties, conventions, agreements and memoranda to which they are parties.

Article 5

Application

Any arrangement shall be implemented on the basis of consensus and will comply with existing laws.

Both parties shall designate contact persons to ensure implementation of this Protocol. Both parties shall meet regularly (at

least once in a year) to review the progress on the implementation of the Agreement.

This Agreement may be amended as mutually consented to in writing by both parties.

This Agreement shall come into force on the date of its signature and shall remain valid for a period of five years. Thereafter, it shall be automatically extended for a subsequent period of five years unless a written notice is given by either side for termination of this Agreement at least three months before the date of its expiry.

Signed in New Delhi, India on 20th May 2013 in two original copies each in Chinese, Hindi and English language. The three texts shall be equally authentic, in case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

(Anand Sharma) Minister Ministry of Commerce and Industry, Government of India The Republic of India	(Zhi Shuping) Minister The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine The People's Republic of China

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

भारत सरकार तथा

चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं संगरोध का सामान्य प्रशासन के बीच

चारा तथा चारा सामग्री के व्यापार और सुरक्षा से संबंधित करार

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे एतद्पश्चात ईआईसी कहा गया है) और चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं संगरोध का सामान्य प्रशासन (जिसे एतदपश्चात एक्यूएसआईक्यू कहा गया है) ने नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करने का संकल्प किया है :

ईआईसी, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचित विभिन्न वस्तुओं के लिए एक सरकारी निरीक्षण एवं प्रमाणन निकाय है । यह अपने फील्ड संगठनों अर्थात निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) जिनके मुख्यालय मुम्बई, कोलकाता, कोच्ची, दिल्ली और चेन्नई में हैं, के माध्यम से और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की सहायता से 29 उप-कार्यालयों के नेटवर्क के साथ प्रचालन करता है । चीन जनवादी गणराज्य को चारा तथा चारा सामग्री के निर्यात से संबंधित कार्य के लिए ईआईसी सक्षम प्राधिकारी है ।

एक्यूएसआईक्यू चीन की राज्य परिषद के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन एक सरकारी एजेंसी है और गुणवत्ता एवं पर्यवेक्षण, माप पद्धति, आयात एवं निर्यात वस्तु निरीक्षण एवं संगरोध, प्रमाणन तथा प्रत्यायन और मानकीकरण का प्रभारी है । एक्यूएसआईक्यू आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं के संबंध में विधि प्रवर्तन निकाय तथा निरीक्षण एवं संगरोध प्राधिकरण भी है ।

ऊपर उल्लिखित दो पक्षकारों को एतद्पश्चात संयुक्त रूप से "दोनों पक्षकार" कहा जाएगा ।

अनुच्छेद 1

लक्ष्य

इस करार का लक्ष्य चारा तथा चारा सामग्री के व्यापार एवं सुरक्षा में परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करना और चारा तथा चारा सामग्री के संबंध में सुरक्षा तथा स्वच्छता और पौध संगरोध अपेक्षाओं के संबंध में विनियामक शर्तों को पूरा करना और दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे के मुद्दे का समाधान करना है । इस करार द्वारा एक कार्य तंत्र की स्थापना की जाएगी जिससे दोनों पक्षकारों के बीच सहयोग सुदृढ़ होगा, परस्पर संवाद वार्ताओं तथा निपटान हेतु एक कारगर तंत्र की स्थापना होगी, दोनों देशों में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सकेगी और चीन तथा भारत के बीच परस्पर लाभकारी ढंग से निष्पक्ष व्यापार का विकास एवं संवर्धन किया जा सकेगा ।

चारा तथा चारा सामग्री का निरीक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :

क) निर्यात किया जाने वाला चारा तथा चारा सामग्री आयातक देश की अपेक्षाओं के अनुसार होगी ।

ख) प्रत्येक पक्षकार देश से आने वाली चारा तथा चारा सामग्री की खेप के साथ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्यात प्रमाण पत्र आवश्यक होगा और इस प्रमाण पत्र के संबंध में दोनों पक्षकारों द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा और परस्पर सहमति बनाई जाएगी ।

ग) प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबद्ध निर्यात प्रमाण पत्र के साथ आने वाली खेपों को स्वीकार करेगा ।

घ) एक्यूएसआईक्यू तथा ईआईसी समय-समय पर एक दूसरे की पर्यवेक्षण प्रणालियों का फील्ड आकलन करेंगे । ये आकलन दोनों पक्षकारों के लागू विनियमों के अनुसार किये जाएंगे ।

अनुच्छेद 2

दायित्व

प्रत्येक पक्षकार निर्यात प्रमाण पत्र जारी करने और दोनों पक्षकारों की कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार जाँच करने के लिए दूसरे पक्षकार को सक्षम प्राधिकारी (सीए) के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे । दोनों पक्षकार चारा तथा चारा सामग्री के निरीक्षण से संबंधित संगत कानूनों एवं विनियमों और इन कानूनों तथा नियमों में होने वाले किसी भी परिवर्तन के संदर्भ में एक दूसरे को सूचित करेंगे ।

अनुच्छेद 3

संप्रेषण

दोनों पक्षकार चारा तथा चारा सामग्रियों के निरीक्षण की तकनीक में किसी परिवर्तन के संबंध में एक-दूसरे को तत्काल जानकारी देंगे ।

दोनों पक्षकार अपनी अपेक्षाओं तथा उन अपेक्षाओं में किसी परिवर्तन, जो दूसरे पक्ष के लिए संगत हो और जो इस व्यवस्था के प्रचालन को प्रभावित करती हो, के संबंध में पूर्णतः व्यवहार्य सीमा तक एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और उन्हें इस संबंध में सूचित करेंगे । इसमें प्रवर्तन तथा निरीक्षण से संबंधित विधान, नीतियां, प्रक्रियाएं तथा दिशा-निर्देश शामिल होंगे परंतु यह करार केवल इन तक ही सीमित नहीं होगा ।

दोनों पक्ष संगत कानूनों तथा विनियमनों के तहत किसी नई अपेक्षा के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करने तथा पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी किसी नए उपाय को शुरू करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान की एक नियमित सरणी तैयार करेंगे ।

दोनों पक्ष निर्यात प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा परिप्रश्नों का प्रत्युत्तर देने के लिए एक प्रणाली विकसित करेंगे ।

अनुच्छेद 4

विवाद निपटान

चूँकि ई आई सी तथा ए क्यू एस आई क्यू, दोनों ही सरकारी एजेंसियां हैं, अतः इस करार से संबंधित किसी विवाद अथवा दावों का निपटान, इस समस्या के परस्पर स्वीकार्य तथा प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए परामर्शों तथा बातचीत द्वारा किया जाएगा ।

यह करार, किन्हीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अभिसमयों, करारों तथा समझौता ज्ञापनों के पक्षकार के रूप में प्रत्येक पक्षकार की वचनबद्धताओं तथा उत्तरदायित्वों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 5

अनुप्रयोग

कोई भी व्यवस्था आम सहमति के आधार पर कार्यान्वित की जाएगी तथा मौजूदा कानूनों का अनुपालन करेगी ।

दोनों पक्षकार इस प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेंगे । दोनों पक्षकार इस करार के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से (वर्ष में कम से कम एक बार) बैठक करेंगे ।

इस करार को दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति से लिखित रूप में संशोधित किया जा सकेगा ।

यह करार हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा । तत्पश्चात, इसकी अवधि स्वतः ही अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ जाएगी, जब तक कि किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इस करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व उसे समाप्त करने के संबंध में लिखित नोटिस न भेजा जाए ।

नई दिल्ली में, दिनांक 20 मई 2013 को चीनी, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए । तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । निर्वचन में किसी असंगतता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

(आनन्द शर्मा)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत गणराज्य की सरकार

(जी शूपींग)
मंत्री, चीन जनवादी गणराज्य के
गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध
का सामान्य प्रशासन

印度共和国商业与工业部出口检验委员会
与
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
关于饲料和饲料添加剂安全与贸易协议

印度商业与工业部出口检验委员会和中国国家质量监督检验检疫总局经过友好协商，决定缔结如下协议：

印度共和国商业与工业部出口检验委员会（EIC），是根据1963年颁布的出口法（质量控制和检验）对各类出口商品实施官方检验与认证机构。实施机构为出口检验代理处（EIAs），其总部设在孟买、加尔各答、高知、德里、钦奈，下属29个分支机构均附有专业实验室。印度出口检验委员会是批准出口饲料和饲料添加剂到中华人民共和国的主管部门。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验认可认证、标准化的政府直属机构。同时也是行使出入境商品检验检疫的行政执法职能机构。

上述提到的两个部门，下文均称“双方”。

第一条

目 的

本协议旨在加强印度和中国两国在饲料和饲料添加剂安全和贸易上的合作，以满足双方关于饲料和饲料添加剂安全、卫生、植物检疫等方面的要求，促进相关贸易健康有序发展。双方将建立有效交流、磋商和问题解决的双边合作机制，以保护两国公共卫生安全，同时促进两国贸易互惠互利。

饲料和饲料添加剂的检查依照下列要求：

a) 出口的饲料和饲料添加剂须符合进口国的要求。

b) 出口的饲料和饲料添加剂应随附出口国官方主管机构签发的证书，证书应双方协商并达成一致。

c) 任一方应接受附有另一方主管当局按时签发并盖有印戳的出口证书的货物。

d) 国家质量监督检验检疫总局和印度商业与工业部出口检验委员会将不定期互相进行监管体系实地评估，评估根据双方有关适用法规进行。

第二条

职 责

双方均视对方为签发出口证书及依照法律法规进行验证的官方主管部门，双方将互相通报有关饲料和饲料添加剂检验检疫的法律法规及其修订内容。

第三条
交 流

双方均应促进饲料和饲料添加剂检验检疫技术的沟通与交流。

鉴于一方要求的变更均可能对另一方的执行造成影响，所以双方均应加强合作和交流。这些将包括但不限于行政执法和检验的立法、政策、程序、指南。

双方均应建立正规的信息交换渠道，以相互通报最新的有关法律法规要求和质量监管控制最新措施。

双方将开发出口证书查证、质询验证系统。

第四条
争端解决

任何源于此协议的争议，印度商业与工业部出口检验委员会和中国国家质量监督检验检疫总局作为双方政府机构，均应积极磋商和谈判，确保找到双方接受并有效解决问题的方法。

本协议不会影响各方在国际条约、公约及其他第三方之间协议和备忘录中的责任和义务。

第五条
适 用

任何约定的实施均应以双方达成一致为基础，并完全符合现有法律法规。

双方将指定联系人以确保协议的贯彻执行，并定期会晤（至少 1 次/年）检查协议的执行情况。

本协议的修订可在双方书面相互同意后进行。

本协议自签署之日起生效，有效期为五年。除非其中任何一方在有效期结束前3个月书面提出终止，则有效期将自动延长5年。

本协议于 2013 年 5 月 20 日在新德里签署，一式三份，每份都用中文、印地文、英文书就，三种文本同等作准。如发生歧义，以英文文本为准。

阿南德·夏马尔
印度共和国
商业与工业部
部 长

支树平
中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局
局 长